विदेश मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति

1284. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान इसकी कभी भी नियमानुसार चार बैठकें नहीं हुई हैं और ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भाषा के प्रचार, विकास और प्रयोग के लिये टेलीप्रिन्टर, टेलेक्स, कम्प्यूटर और इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों, आदि जैसे आवश्यक यंत्रों, की इस मंत्रालय में व्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण राजभाषा के वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम पिछले 11 वर्षों से पूरे नहीं हो सके हैं और यदि हां, तो कार्य को पूरा करने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के० आर० नारायणन (क) इस मंत्रालय में केन्द्रीय हिन्दी समिति कीउप समिति के स्थान पर हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय पहले ही किया जा चुका है । गठन-संबंधी औपचारिकताएं पूरी होते ही उसका संकल्प जारी कर दिया जायेगा । इसके बाद हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जायेगी ।

(ख) इस मंत्रालय के मुख्यालय में और विदेश स्थित मिशनो/केन्द्रों में हिन्दी के संवर्धन के लियं आधुनिक उपकरण प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्य की अपेक्षाओं के आधार पर विचार किया जायेगा ।

12.00 Noon

PAPERS LAID ON THE *TABLE*

Notification of the Ministry of Home Affairs publishing the Central Industrial Security Force (Second Amendment) Rules, 1985

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY (SHRI ARUN NEHRU): Sir, I beg to lay on the Table under sub-section (3) of section 22 of the Central Industrial Security Force Act *196®,* a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Home Affairs, Notification G. S. R. No. 789, dated the 24th August, 1985, publishing the Central Industrial security Force (Second Amendment) Rules, 1985.

[Placed in Library. See No. LT-1544/85]

Notification of the Ministry of Finance-under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. 1985

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SlNGH): Sir, I beg to lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Notification of the Ministry of Finance (Department of Revanue), under section 77 to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985: —

(i) S. O. No. 1825 (E), dated the 14th November, 1985, specifying the small quantity under section 27 (l) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

(ii) S. O. No. 826(E), dated the 14th November, 1985, declaring certain narcotic substances and preparation to be manufactured drugs under section 2(xi) (b) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

(iii) S. O. No. 827(E), dated the 14th November, 1985, partially modifying Notification No. 825(E), dated the 14th November, 1985 and specifying 'small quantity' in relation to certain narcotic drugs. .

(iv) G. S. R. No. 837(E), dated the 14th November, 1985, publish^